भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1184**
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

## ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण

**†1184. श्री भूमरे संदीपनराव आसाराम:**
**श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:**

**क्या पंचायती राज मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों की ग्राम पंचायतों में अभी भी कंप्यूटर और सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित विस्तृत जानकारी क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं;

(घ) महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले और मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के विवरण क्या हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी ग्राम पंचायतों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की संभावना कब तक है?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

**(क) से (ङ)** पंचायत एक राज्य विषय होने के कारण ग्राम पंचायतों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की होती है। हालांकि, 01.04.2022 से 31.03.2026 तक लागू संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के प्रयासों को सीमित स्तर पर पूरक सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन, सामान्य सेवा केंद्रों का सह-स्थान, कंप्यूटर आदि जैसी कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ) द्वारा वित्तपोषित भारतनेट परियोजना (जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था) चरणबद्ध रूप से देश की सभी ग्राम पंचायतों, जिनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लागू की जा रही है। इस ढांचे को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी) को पट्टे पर दिया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संस्थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। अब तक कुल 2,65,014 ग्राम पंचायतों में से 2,18,360 ग्राम पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत उच्च गति इंटरनेट सेवाओं के लिए सेवा-तैयार बनाया जा चुका है, जबकि 8,018 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है।

डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। इसमें भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन, शेष लगभग 42,000 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क निर्माण, 10 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव तथा उपयोगिता शामिल है। इस कार्यक्रम की कुल लागत 1,39,579 करोड़ रुपये है। बी.एस.एन.एल.को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

महाराष्ट्र में, योजना के तहत 27,939 ग्राम पंचायतों में से 24,575 ग्राम पंचायतें (24,569 OFC + 6 उपग्रह) सेवा-तैयार कर दी गई हैं, जबकि शेष 3,114 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत 250 ग्राम पंचायतों की योजना बनाई गई है। भारतनेट परियोजना के तहत, संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिले में 871 ग्राम पंचायतों में से 756 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में योजना के तहत 22,858 ग्राम पंचायतों में से 17,850 ग्राम पंचायतें (17,812 OFC + 38 उपग्रह) सेवा-तैयार कर दी गई हैं। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत 5,008 ग्राम पंचायतों की योजना बनाई गई है। भारतनेट परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

***